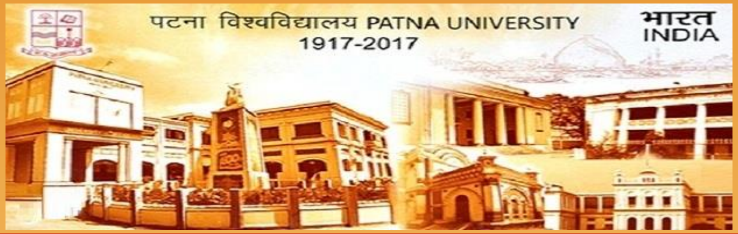

Patna University In News (26.09.2022)

दैनिक भास्कर

सख्ती • छात्र के शपथ पत्र देने के बाद ही हॉस्टल का होगा रिन्युअल

पटना कॉलेज : हॉस्टल से निष्कासित हुए तो कॉलेज से भी हो जाएंगे बाहर

एजुकेशन रिपोर्टर | पटना

पटना कॉलेज में हॉस्टल से निष्कासित हुए तो कॉलेज से भी बाहर का रास्ता देखना होगा। पटना कॉलेज के हॉस्टलों में रिन्युअल के लिए पहले छात्रों से शपथ पत्र लिया जाएगा। फिर उन्हें हॉस्टल में रहने की अनुमति दी जाएगी। पटना कॉलेज में लगातार हो रही मारपीट की घटनाओं के बाद कॉलेज प्रशासन के द्वारा उक्त निर्णय लिया गया है। विवि प्रशासन ने भी इसके लिए अपनी सहमति कॉलेज प्रशासन को दे दिया है। वहीं जो छात्र मारपीट में संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।

छात्रों के लिए फॉर्मेट तैयार कर रहा कॉलेज

जैक्सन हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट डॉ अविनाश कुमार ने बताया कि कॉलेज जो फॉर्मेट तैयार करेगा, उसे छात्रों को भरना होगा। तभी उन्हें हॉस्टल अलॉट किया जायेगा। उनका खुद से दिया गया शपथ पत्र मान्य नहीं होगा। मिंटो हॉस्टल के सुपरिंटेंडेंट डॉ. विभाष कुमार ने बताया कि मिंटो हॉस्टल को फिलहाल खाली करा बंद करा दिया गया है। हॉस्टल का ताला तभी खुलेगा जब छात्र शपथ पत्र भरकर देंगे।

अवैध रूप से रह रहे छात्रों पर होगी कार्रवाई

पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन प्रो. अनिल कुमार ने बताया कि सिर्फ वैध छात्रों को रहने की अनुमति दी जाएगी। वह भी शपथ पत्र देने के बाद। वहीं कोई भी अवैध छात्र हॉस्टल में रहते पकड़े गए तो उक्त छात्र पर एफआईआर की जाएगी। उन्होंने छात्रों को हिदायत दी कि हॉस्टल के कमरे में वे खाना नहीं बनाएंगे, ऐसा करने वाले छात्रों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

छात्रों को भरना होगा शपथपत्र

कॉलेज प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छात्र को रहने की अनुमति इसी शर्त पर दी जा सकती है कि वे शपथ पत्र भरकर देंगे कि किसी भी तरह की मारपीट या आपराधिक गतिविधियों में पाए गए तो उन्हें हॉस्टल व कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाएगा।
- प्रो अशोक कुमार, प्राचार्य, पटना कॉलेज